मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक 619 /स्था/प्रनिबो/15 भोपाल दिनांक 30/3/15

-:: कार्यालय आदेश ::-

राज्य बोर्ड की 124 वीं बैठक दिनांक 10.2.2011 में लिये गये निर्णय अनुसार उद्योगों संस्थानों से ली जाने वाली बैंक गारन्टी राशि आदेश क्रमांक 438 दिनांक 28/2/2011 द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसे राज्य बोर्ड की 135 वीं बैठक दिनांक 13.2.2015 में लिये गये निर्णय अनुसार उद्योगों/संस्थानों से ली जाने वाली बैंक गारन्टी की राशि एवं प्रकिया निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

1. प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के उन्नयन हेतु उद्योगों/संस्थानों से ली जाने वाली बैंक गारन्टी की राशि प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित कराये जाने वाले कार्यों/उपकरणों की अनुमानित राशि के 25 प्रतिशत के बराबर होगी ।
2. बैंक गारन्टी की राशि निर्धारित करने, जप्त करने व समयावधि बढ़ाने/कम करने की शक्तियाँ अध्यक्ष को व लघु उद्योग श्रेणी की इकाईयों हेतु संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को होंगी । उपरोक्त कार्यवाही बैंक गारन्टी प्रकरण समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर की जायेंगी ।
3. उद्योगों संस्थानों द्वारा प्रस्तुत समयबद्ध कार्ययोजना अनुसार कार्य नहीं करने के कारण समयबद्ध कार्ययोजना की अवधि बढ़ाने संबंधी कार्यवाही अन्तर्गत बैंक गारन्टी राशि पर प्रतिमाह 2 प्रतिशत की दर से पेनल्टी राशि बोर्ड को जमा करनी होगी ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(ए० ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ. क्र 620 /स्था/प्रनिबो/15, भोपाल दिनांक 30/3 /15,
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल एवं समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/ म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(ए० ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव